INVEST UP

POWERING NEW INDIA

Address :

4th Floor Block A PICUP Bhawan,
Lucknow, Uttar Pradesh 226010
Phone No.: +91-522-2720236, 2720238
Email: info[at]investup[dot]org[dot]in
Website - https://invest.up.gov.in/

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार

UP GLOBAL INVESTORS SUMMIT

10-12 FEBRUARY, 2023

New India's Growth Engine

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 (संशोधन 2022)

प्रमुख बिन्दु

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकाइयों को प्रोत्साहन

- रु. 1,000 करोड़ से अधिक के निवेश पर अतिरिक्त 10% अधिकतम ₹ 100 करोड़ तक के अतिरिक्त पूंजीगत सब्सिडी के साथ एफसीआई की पूंजीगत सब्सिडी ₹ 250 करोड़ तक।
- नवीनीकृत संयंत्र और मशीनरी को फिक्ड पूंजी निवेश के 40% तक की अनुमति।
- 7 वर्षों के लिए प्रति यूनिट अधिकतम ₹ 1 करोड़ प्रति वर्ष तक 5% ब्याज सब्सिडी।
- 100% स्टाम्प ड्यूटी छूट।
- मध्यांचल और पश्चिमांचल में 25% और बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों में 50% की भूमि पर छूट कुल परियोजना लागत के 7.5% या ₹ 75 करोड़, जो भी कम हो।
- औद्योगिक शेड/औद्योगिक भवन हेतु 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष ₹ 25 लाख तक के पट्टे के किराये पर शुल्क का 25%।
- 3.0 + 1.0 (क्रय योग्य) फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर)।
- घरेलू पेटेंट के लिए ₹ 5 लाख और अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट के लिए ₹ 10 लाख तक पेटेंट भरने की लागत प्रतिपूर्ति।
- इलेक्ट्रिसिटी शुल्क में 10 वर्ष के लिए 50% की छूट।
- रु. 2 करोड़ प्रति यूनिट तक के विनिर्माण उपकरणों के आयात हेतु परिवहन लागत पर 50% लॉजिस्टिक सब्सिडी।
- एंकर इकाई के रूप में कार्य करने वाले निवेशक को 5% अतिरिक्त पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी और इसके साथ ही सहायक इकाइयों को भी प्राप्त करने की गारंटी दी जाएगी।
- रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स, सामरिक इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स आदि जैसे निम्नलिखित फोकस क्षेत्रों के तहत आवेदन करने वाले निवेशकों के लिए 5% अतिरिक्त पूंजीगत सब्सिडी।
- प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के पुन: निर्माण, मरम्मत या नवीनीकरण के लिए इकाइयां स्थापित करने वाले निवेशक भी नीति के अंतर्गत दिए गए सभी प्रोत्साहनों के लिए पात्र होंगे।

सेमी कंडक्टर इकाइयों के लिए विशेष प्रोत्साहन

- भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पूंजीगत सब्सिडी पर 50% अतिरिक्त पूंजीगत सब्सिडी।
- पहले 200 एकड़ भूमि पर 75% सब्सिडी के साथ इकाई के लिए या सहायक के लिए भूमि की अतिरिक्त क्रय पर 30% सब्सिडी।
- भूमि की खरीद/लीज पर शत प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी छूट।
- औद्योगिक दरों के अनुसार बिजली की दरें।
- इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 20 वर्षों के लिए शत प्रतिशत छूट।
- एफएबी इकाइयों के लिए दोहरी पावर ग्रिड नेटवर्क।
- सभी परियोजनाओं को अच्छे पानी की गुणवत्ता (पीने योग्य पानी) प्रदान किया जाएगा।
- ईटीपी की लागत के 50%, ₹ 1 करोड़ तक की सीमा तक एकमुश्त पूंजीगत सब्सिडी।
- भारत सरकार की ईएमसी 2.0 योजना के अनुसार अवस्थापना लागत का 50% और सामान्य सुविधा केंद्रों के लिए 25% प्रदान किया जाएगा।
- भूमि, बिजली, पानी, अवस्थापना, पूंजी साझाकरण, वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन आदि सहित एफएबी इकाइयों के लिए केस-टू-केस आधार पर आगे की छूट पर विचार किया जा सकता है, जो अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) की संस्तुति पर राज्य के मंत्रिपरिषद से अनुमोदन के अधीन होगा।
- सिलिकॉन सेमीकंडक्टर फैब, डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट (फैब), कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन फोटोनिक्स (एसआईपीएच), सेंसर (एमईएमएस सहित) फैब, डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर्स फैब, सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग (एटीपीएमपी) / आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट (ओएसएटी) सुविधा के लिए भी लागू होगा।

नोडल एजेंसी : उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीईएलसी)